

लोकतंत्र और संचार माध्यम : एक अध्ययन

राजेश्वर,

शोधार्थी, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

सारांश

भारत विश्व का विशालतम् लोकतांत्रिक देश है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में भारत को 'सम्प्रभु धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित किया गया तो लोकतंत्र शब्द हमारा एक अभिन्न अंग बन गया। प्रस्तुत शोध पत्र में जन संचार माध्यम मीडिया और लोकतंत्र को लेकर अध्ययन किया गया है। भारत में मीडिया को प्रजातंत्र का चतुर्थ स्तम्भ कहा जाता है। मीडिया के अन्तर्गत प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों आते हैं और इसके विकास का एक लम्बा इतिहास है। मीडिया की स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकतंत्र का प्रमुख आधार है। यह लोकतंत्र का प्रहरी है और इसका प्रभावशाली निर्वहन हेतु निष्पक्ष एवं सक्रिय होना बहुत आवश्यक है। मीडिया की कार्य प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इनसे हम सम्पूर्ण मीडिया जगत को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस शोध पत्र के द्वारा भारतीय लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम मीडिया की सकारात्मक एवं नकारात्मक भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द : — जनसंचार माध्यम , मीडिया, पेड न्यूज, लोकतंत्र, स्टिंग ऑपरेशन।

प्रस्तावना :

लोकतंत्र का सामान्य अर्थ लोकप्रिय सम्प्रभुता पर आधारित शासन से है। यह वह व्यवस्था है जो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के विविध अधिकार व स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं जिसमें भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया एक जनसंचार माध्यम है जो व्यापक स्तर पर सूचनाओं के संप्रेषण करता है। यह संप्रेषण आम जनमानस पर व्यापक असर डालता है और लोकतंत्र को प्रभावित करता है। मीडिया को दो भागों में बांटा गया है—प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया। पत्र—पत्रिकाएँ, पम्फलेट आदि प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत आते हैं। वहीं रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, फ़िल्म व ई—मेल आदि इलेक्ट्रानिक मीडिया के भाग हैं। आज के समय में इलेक्ट्रानिक मीडिया का ही एक भाग सोशल मीडिया के नाम से लोकप्रिय हो रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से प्रभावी फेसबुक, व्हाट्सअप, टिवटर, ब्लॉग आदि हैं।

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस बहुत आवश्यक है। भारत में प्रेस का एक लम्बा इतिहास रहा है। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस को नियंत्रित करने के लिए अनेक विधियों का निर्माण किया जिसमें इण्डियन प्रेस एक्ट 1910 और 1931–32 –इण्डियन प्रेस (इमरजेन्सी) अधिनियम आदि उल्लेखनीय हैं। स्वतंत्रता पश्चात् संविधान निर्माताओं ने प्रेस की स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया। संविधान में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा नागरिकों को भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। इसी तथ्य को समय–समय पर उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा स्थापित किया है। प्रेस की स्वतंत्रता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान इसे स्वराज्य का एक आवश्यक कारक माना। गाँधीजी के अनुसार भाषण की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की पुनः स्थापना ही स्वराज का मूल ध्येय है।

मीडिया की स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकतंत्र का आधार है। मीडिया संसार में तथा हमारे चारों ओर घटित होने वाली सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों के प्रति हमें जागरुक करता है। यह वह दर्पण है जो हमें जीवन के कड़वे सत्य और कटु वास्तविकताओं को हमें दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है। लोकतंत्र का एक बड़ा साधन निर्वाचन है और मीडिया पिछले कुछ वर्षों में अति सक्रिय हुआ है। टी0वी0 न्यूज चैनल्स निर्वाचन से पूर्व राजनीतिज्ञों को उनके द्वारा किये गये वायदों को याद दिलाते हैं और जनसाधारण विशेष रूप से निरक्षित व्यक्ति को सही व्यक्ति का निर्वाचन करने में सहायता प्रदान करते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों को अपने आश्वासनों को पूरा करने का दबाव डालते हैं। मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के छिद्र–बिन्दुओं को उजागर कर सरकार को उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करती है और सरकार को अधिक जवाबदेह, उत्तरदायी और नागरिकों के अनुरूप बनाने के सहायता करती है। मीडिया के बिना लोकतंत्र बिना पहिये के वाहन के समान है। मीडिया ही स्वस्थ जनमत निर्माण का साधन है।

मीडिया ने भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों एवं सदस्यों के नैतिक मूल्य एवं भ्रष्टाचार को अपने स्टिंग आपरेशन के द्वारा सबके सामने प्रस्तुत किया है। इस तरह के सत्य अन्वेषण एवं तथ्यों की प्रस्तुति से जनता जनार्दन अपने प्रतिनिधियों के कृत्यों से न केवल अवगत होती है वरन् भविष्य के लिए सचेत भी होती है। मीडिया द्वारा किये गये विविध स्टिंग ऑपरेशन में ऑपरेशन दुर्योग्यन एवं ऑपरेशन चक्रव्यूह विशेष उल्लेखनीय हैं। मीडिया द्वारा किये गये इन ऑपरेशन ने हमारे सम्मुख इस तथ्य को रखा कि हमारे नेतागण किस प्रकार अपने विशेषाधिकार को कितने सस्ते में बेचने को तैयार हैं बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि संसद और अपने अधिकार को यह किस नजर से देखते हैं। करीब

दस महीने तक चले ऑपरेशन दुर्योधन ने जाहिर कर दिया कि कैमरे का सही इस्तेमाल करते हुए जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की करतूतों का भंडाभोड़ किया जा सकता है। संसद में सवाल उठाने के नाम पर पैसे लेने वाले सांसदों की सूची जब मीडिया ने जनता के सामने सब प्रमाणों के साथ प्रस्तुत की तो भारतीय लोकतंत्र का बदशकल चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया। इसी तरह चक्रव्यूह स्टिंग ऑपरेशन में सांसद होने के अहंकार में वे यह भूल गए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया भी लोकतंत्र का एक मजबूत आधार स्तम्भ है।

इंटरनेट क्रान्ति के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रूप में दुनिया को एक बेहतरीन तोहफा मिला है। फेसबुक, टिवटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, गूगल प्लस और ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखते हैं। आज छोटे से लेकर बड़ा नेता टिवटर अकाउन्ट द्वारा जनता तक अपने सन्देश भेजता है परन्तु यही प्लेटफॉर्म्स कभी—कभी नफरत एवं अपशब्दों का सहारा बन जाता है।

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया जैसे जनसंचार माध्यम ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन वहीं मीडिया का एक वर्ग बिकाऊ मीडिया या 'पेडन्यूज' के माध्यम से वास्तविक मुद्दों से भटकाकर गलत सूचनाएँ प्रदान कर, जनमानस को भ्रमित कर भारतीय लोकतंत्र को चुनौती भी प्रस्तुत कर रहा है। पेड न्यूज का अर्थ है प्रमुख मीडिया घरानों को अपने पक्ष में प्रभावी समाचार प्रसारित व प्रकाशित करने के लिए भुगतान देना। ऐसे समाचार सामान्यतः राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों और सेलिब्रेटीज द्वारा अपनी सार्वजनिक छवि को सुधारने के लिए प्रकाशित करवाये जाते हैं। भारत निर्वाचनआयोग ने ऐसे कई मामलों को पकड़ा है जहाँ राजनीतिज्ञों ने समाचारपत्रों और टीवी चैनलों को पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट प्रसारित/प्रकाशित करने के लिए भुगतान किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक चहाण से 2010 में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज से सम्बन्धित कोष की पूछताछ की थी। नवम्बर 2008 के मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन में नरोत्तमदास, राज्य मंत्रिमंडल सदस्य पर भी निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे ही आरोप लगाए गए। अक्टूबर 2011 में उत्तर प्रदेश के बिसौली से निर्वाचित उमलेष यादव प्रथम विधायिका सदस्य बनीं जिन्हें अपने चुनाव प्रचार में विज्ञापन पर खर्च किए गए व्यय का विवरण न दे पाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया। वर्ष 2009 से अब तक हुए कई राज्यों में निर्वाचन आयोग ने पेडन्यूज से सम्बन्धित लगभग 1000 मामले चिह्नित किए। पेडन्यूज एक ऐसी समस्या है जिसे रोकना और पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य है। यह संचार माध्यम का गलत प्रयोग है जो लोकतंत्र में एक बाधा की तरह है।

लोकतंत्र में निर्वाचन का विशेष महत्व है और ओपिनियन पोल एवं एकिजट पोल के द्वारा मीडिया निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। जहाँ ओपिनियन पोल वास्तविक चुनाव को पहले मतदाताओं पर किए गए सर्वे पर आधारित होता है वहीं एकिजट पोल मतदानकेन्द्र से बाहर आ रहे

मतदाता का अध्ययन और विश्लेषण है। मतदाताओं के एक खास सैम्पल को आधार मानकर उनकी मतदान व्यवहार सम्बन्धी जानकारी हासिल की जाती है और इससे प्राप्त सूचनाओं व आंकड़ों का विश्लेषण करके यह बताया जाता है कि अमुक चुनाव में मतदान व्यवहार की क्या प्रवृत्तियाँ होंगी जिनके आधार पर राजनीतिक पंडित चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग करते हैं। एकिजट पोल ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। 1990-91 में प्रणव राय एवं विनोद दुआ द्वारा प्रारम्भ इस तरह के सर्वे व विश्लेषण इतने लोकप्रिय हो गए कि डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा टी0पी0 चैनल्स व समाचारपत्र-पत्रिका समूह ऐसे सर्वेक्षण में लगे हैं। राजनीतिक दल स्वयं ऐसे सर्वेक्षण कराते हैं और लाखों रुपये लगाकर करोड़ों रुपये कमा लिए जाते हैं।

भूमण्डलीकरण के युग में मीडिया ने समाचार की नई परिभाषा बनाई है 'समाचार वही जो व्यापार बढ़ाए'। बाजार व पूँजी के तर्क मीडिया पर इतने हावी कभी नहीं रहे जितने आज हो गए हैं। आज भारतीय मीडिया पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे बाजार और उपभोक्ता संस्कृति का साथ निभाने वाली मजबूरी के बीच सकारात्मक व समाज को जोड़ने वाली घटनाओं, समस्याओं को प्रमुखता दे और नित घट रही मानवाधिकार हनन की घटनाओं की कवरेज क्रम में पाठकों को उनके सैद्धान्तिक और व्यवहारिक पहलुओं से अवगत कराए।

प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम० काटजू ने अपने एक संबोधन में भारतीय मीडिया की कार्यप्रणाली के कुछ दोष बताए। उन्होंने कहा कि मीडिया अक्सर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। उनके कंटेंट में पेड़ न्यूज की अधिकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया कई बार वास्तविक मुद्दे को दरकिनार कर कम महत्वपूर्ण मुद्दे को महत्वपूर्ण बना देता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मीडिया देश के वास्तविक मुद्दे—अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, आवास एवं स्वास्थ्य समस्याओं को उठाने की बजाय किसी बड़े फिल्मस्टार की पत्नी की प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी खबरों का 'जरूदा महत्व देता है।

मीडिया ट्रायल आज भारतीय लोकतंत्र में बड़ी समस्या है। टी0आर0पी0 बढ़ाने और मामले के सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण के चक्कर में मीडिया अपराधिक मामलों में इतनी खोजबीन कर तथ्य प्रस्तुत करती है कि न्यायालय के निर्णय के पूर्व ही जनमानस के मस्तिष्क में आरोपी बेगुनाह या अपराधी बन जाता है। इस प्रक्रिया में आरोपी के निष्पक्ष ट्रायल के अधिकारों का अतिक्रमण हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का सही रूप में कार्य करना संभव नहीं है। मीडिया का एक नया चेहरा सामने आ रहा है कि कुछ मीडिया समूह सत्तापक्ष और कुछ मीडिया समूह सत्ता विरोधी हैं और इस विरोध प्रतिरोध की प्रक्रिया में सत्य कहीं पीछे छूट जाता है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी अनदेखा कर देते हैं। क्या ऐसी मीडिया किसी भी लोकतंत्र व देश की सफलता में सहायक हो सकती है? मुम्बई एवं कश्मीर आतंकी हमले में टी.वी. के एक चैनल ने ऐसी रिपोर्टिंग की

जिससे सुरक्षा एजेन्सियों की प्रत्येक गतिविधि आतंकी समूह को प्राप्त होती रही तथा देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

निष्कर्ष : अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की जनसंचार माध्यम के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक मामलों में मीडिया ने अपने कार्य से लोकतंत्र को बचाने में अहम योगदान दिया है लेकिन पेड न्यूज, ब्लैकमेलिंग आदि मामलों ने उसकी छवि को धूमिल किया है। एक जन संचार माध्यम होने के चलते मीडिया की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अपनी जिम्मेदारी को निभाए।

सन्दर्भ ग्रंथ:

- दलाल, सिंह राजबीर-भारत में एग्जिट पोल और मीडिया की भूमिका, पृष्ठ 204, सं0 शर्मा, संजीव
- कुमार-भारतीय राजनीतिविज्ञान शोध पत्रिका, जनवरी-दिसम्बर 2010 अंक प्रथम-द्वितीय (संयुक्तांक)
- यादव, अनुपमा-बदशाह के दौर में मीडिया और मानवाधिकार, पृष्ठ 196-197, महिला विधि भारती, विधि चेतना की द्विभाषिक शोध पत्रिका, अप्रैल-जून 2011 अंक 67 ISSN-0976-004
- जायसवाल, सुधा -भूमण्डलीकरण के दौर में मीडिया और मानवाधिकार, पृष्ठ 104,
- सं0 सिंह, नीलिमा-भूमण्डलीकरण और भारत में मानवाधिकार, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली